

प्रेस विज्ञप्ति

नौएडा प्राधिकरण की 198वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.01.2020 में निर्णय लिया गया है कि आवासीय भूखण्डों के समीप रिक्त पडी अतिरिक्त ऐसी भूमि जिस पर कोई भूखण्ड सृजित किया जाना सम्भव न हो एवं उक्त भूमि का भू उपयोग आवासीय हो ऐसे भूखण्डों के साथ लगी रिक्त भूमि आवंटी/अन्तरणी के पक्ष में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उक्त अनुमोदन के क्रम में आवासीय भूखण्ड विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणों, जिनमें आवंटियों/अन्तरणियों द्वारा भूखण्ड के साथ लगी रिक्त भूमि को अपने पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, में भूखण्डों के साथ पडी रिक्त भूमि का आवंटन दिनांक 17.3.2020 को कर दिया गया है। ऐसे प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	भूखण्ड सं०/ सेक्टर	पूर्व में आवंटित क्षेत्रफल(वर्ग मी में)	बढा हुआ आवंटित क्षेत्रफल (वर्ग मी में)
1	एस एच-26/71	53.56	17.73
2	बी एस-09/63ए	48.39	15.00
3	एस के-001/116	65.40	28.11
4	एस जी-001/122	62.80	15.60
5	एस एच-40/141	218.60	76.00
6	बी आर-36/116	214.00	35.50
7	एच ए-103ए/104	113.85	64.00
8	एस एच-002/104	273.60	55.50
9	एस डी-ए-029/45	187.40	69.84

(प्रवीण मिश्र)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी